



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ, 1943 (श०)

संख्या - 59 राँची, गुरुवार,

17 फरवरी, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

3 फरवरी, 2022

संख्या-5/आरोप-1-53/2020-1307 (HRMS)--श्री प्रभाष चन्द्र दास, झा०प्र०से० (तृतीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्र०वि०पदा०, नावाडीह, बोकारो, सम्प्रति-निलंबित को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 13.11.2020 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०-12093(hrms), दिनांक 02.12.2020 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 13.11.2020 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया ।

2. श्री दास द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद दिनांक 15.03.2021 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया है, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-5783(hrms), दिनांक 27.05.2021 द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि दिनांक-15.03.2021 के प्रभाव से इनका योगदान स्वीकृत करते हुए योगदान की तिथि दिनांक 15.03.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक श्री दास को

पुनः निलंबित किया गया है तथा निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया।

3. श्री दास द्वारा निलंबन से मुक्त करने हेतु अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया निलंबित रहने के कारण ये गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं एवं उनके ऊपर वृद्ध एवं बीमार माता-पिता सहित पूरे परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेवारी है।

4. श्री दास से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री प्रभाष चन्द्र दास, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह, बोकारो, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ख) श्री दास के निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद थाना कांड सं०-12/2020, दिनांक 12.11.2020 में पारित अंतिम न्याय निर्णय/आदेश के पश्चात् लिया जायेगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PRABHAS CHANDRA DAS (JHK/JAS/301)	PERSONNEL ADMINISTRATIVE REFORMS AND RAJBHASHA DEPARTMENT	Personnel Administrative Reforms and Rajbhasha Department (RANCHI)	Under Suspension	(क) श्री प्रभाष चन्द्र दास, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह, बोकारो, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है। (ख) श्री दास के निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद थाना कांड	03/02/2022	It will NOT be calculated for pension purposes

					सं०-12/2020, दिनांक 12.11.2020 में पारित अंतिम न्याय निर्णय/आदेश के पश्चात् लिया जायेगा।		
--	--	--	--	--	---	--	--

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
